प्रेस नोट **03/06/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त 03 वर्ष 09 माह 15 दिन के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय एफ.टी.सी. प्रथम व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 03-06-2024 को मु0अ0सं0 80/03 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त विवेक राय उर्फ मुन्नू पुत्र ओमप्रकाश राय निवासी तिहा मोहम्मदपुर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष 09 माह 15 दिन के कठोर कारावास की सजा एवं ₹5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री कृष्ण शरण सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी उमेश कुमार थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

चोरी के साईकिल के साथ एक शातिर गिरफ्तार-

आज दिनांक 03.06.2024 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सुचना पर रामनवल डिग्री0 कॉलेज के पास से मु0अ0सं0 83/24 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त इमरान पुत्र रियाज अहमद निवासी तकिया वार्ड नं0 12 युसुफाबाद थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद साईकिल रेंजर बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया ।

दिनांक 04/06/2024 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतगणना के अवसर पर शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 03/06/2024 को पुलिस लाईन मऊ परिसर में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा मतगणना ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस/अर्द्धसैनिक बलों एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग की गयी जिसमें आदर्श आचार संहिता गाइड लाईन का शत-प्रतिशत अनुपालन तथा अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुये सभी को ब्रीफ किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्री सहित भारी संख्या में अधिकारी/कर्मचारीगण अद्धसैनिक बल एवं जनपदीय पुलिस के जवान उपस्थित रहे।

दिनांक 4/6/2024 को लोकसभा निर्वाचन घोसी के मतगणना के अवसर पर समय डाय वर्जन, समय 06:00 बजे प्रात: से-

1 दाड़ी चट्टी से सब्जी मंडी मतगणना स्थल की तरफ केवल पुलिस, प्रशासन मतगणना अधि0/कर्म 0 मीडिया,वा एजेंट के अतिरिक्त सभी वाहन कोपागंज वा शहरोज होकर अपने गंतव्य को जायेंगे /

2. बलिया मोड़ से सब्जीमंडी दाड़ी चट्टी की तरफ केवल मतगणना अधि0/कर्म0 पुलिस, प्रशासन मीडिया कर्मी के वाहन जाएंगे शेष बलिया के तरफ से आकर कोपागंज ,घोसी ,गोरखपुर जाने वाले वाहन बलिया मोड़ से भीटी गाजीपुर तिराहा, आजमगढ़ मोड़ , मिर्जाहादी पुर ,मतलु पुर से हाइवे पकड़कर जाएंगे।

3. अदरी मोड़ से भारी वाहन बलिया मोड़ की तरफ न आकर इंदारा मझवारा होकर अपने गंतव्य स्थान को जायेंगे।

4. शहरोज मोड़ से सभी वाहन घोसी मझवारा होकर बलिया की तरफ जायेंगे

5. भदसा मानव पुर से कोई भी भारी वाहन कोपागंज की तरफ नही आयेगा।

6. बधुआ गोदाम से कोई भी भारी वाहन शहर में नही आयेगा बल्कि हाइवे पकड़कर अपने गंतव्य को जायेंगे

7. मतलूपुर मोड़ से कोई भी भारी वाहन शहर में नही आयेगा बल्कि हाइवे पकड़कर अपने गंतव्य को जायेंगे